(नियम 26)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Nor Official

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

विनोद वगैरा बनाम स्टेट वगैरा

अपील प्रकरण सं0 37/2019

अधिवक्ता अपीलार्थी :–श्री राजेश ग्रेवाल राज0 अधिवक्ता :– श्री हरवीर सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
04.09.2019	अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 30.08.2019 को चक 79 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर में स्थित रामदेव मन्दिर के पास, चौंक में स्थित कीकर का हरा पेड़ काटने की अनुमति जो दी गई है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 79 से 85 तक के प्रावधानों की अनदेखी की है। पेड़ को काटने के लिए केवल काश्तकार ही आवेदन कर सकता है तथा उसके आवेदन पर भी आवश्यक जांच के उपरान्त व कानूनी प्रक्रिया अपनाकर ही कोई स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। हरा पेड़ जो कि सार्वजनिक सम्पति है को काटने की अनुमति देने से पूर्व हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर ही कोई आदेश पारित किया जा सकता था। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज फरमाया जावें। अपीलाधीन अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में गोविन्द बनाम राज. सरकार 1956 आर.आर.डी. पेज–210 का जिक्र किया जो इस प्रकरण में चस्पा होती है। अपीलार्थी अधिवक्ता ने बताया कि उक्त पेड आबादी भूमि पर स्थित है न कि कृषि भूमि पर। अतः तहसीलदार का आदेश क्षेत्राधिकार से परे है। तहसीलदार की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता द्वारा भी यह प्रकट किया गया कि तहसीलदार को राजस्व भूमि की अनुमति देने का प्रावधान काश्तकारी अधिनियम में है। हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 30.08.2019 को पारित आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है क्योंकि जिस हरे पेड़ को काटने की स्वीकृति तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर ने अपने आदेश दिनांक 30.08.2019 से जारी की गई है वह कृषि भूमि नहीं है। चक 79 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर में स्थित सार्वजनिक चौंक की भूमि पर स्थित हरा कीकर का पेड एक सार्वजनिक स्थल पर स्थित जिस हेतु पेड़ की स्वीकृति बाबत तहसीलदार रायसिंहनगर को स्वीकृति जारी करने बाबत प्रकरण सहायक कलक्टर रायसिंहनगर को पेश किया जाना चाहिए था जो तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा नहीं किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार रायसिंहनगर का आदेश दिनांक 30.08.2019 विधि सम्मत् नहीं पाये जाने से खारिज किया जाकर इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि आप आबादी भूमि में सार्वजनिक स्थल पर स्थित कीकर हरा पेड़ काटने का का प्रकरण तैयार कर सहायक कलक्टर रायसिंहनगर को निर्णय हेतु पेश करें जो सम्बन्धित पक्षकारों को सुनकर विधिसम्मत् आदेश जारी करने हेतु स्वतन्त्र रहेगें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया। (ओ.पी.जैन) अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर	